उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-111/3703/पांच-8-2016-जी0(03)/2015

लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-168(1)/चि0-3-2012-03(नियुक्ति)/2011, दिनांक 21-02-2012 द्वारा डा0 मेहनाज गनी, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के क्रम में डा0 गनी द्वारा अपनी योगदान आख्या दिनांक 14-03-2012 को मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के आदेश दिनांक 19-03-2012 द्वारा डा0 गनी की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरैया, बस्ती में की गयी, जहां डा0 गनी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 मेहनाज गनी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिनांक 03-12-2012 से अवकाश पर चली गयी। स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण दिनांक 14-12-2012 को सरकारी सेवा से अपना त्याग पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती को दिया गया। डा0 गनी का त्याग पत्र अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। डा0 मेहनाज गनी द्वारा स्वास्थ्य ठीक होने के उपरान्त पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के पत्र दिनांक 30-03-2016 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 08-07-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 मेहनाज गनी, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के अधीन कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- डा0 मेहनाज गनी, चिकित्साधिकारी के दिनांक 03-12-2012 से अनधिकृत अनुपस्थिति रहने एवं शासकीय कार्यो से विरत रहने आदि आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत डा0 मेहनाज गनी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बस्ती मण्डल, बस्ती को जांच अधिकारी नामित करने के एतदद्वारा श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-111/3703(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 मेहनाज गनी, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित कराते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल, बस्ती को आदेश की एक अतिरिक्त प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित आदेश की तामीली सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कराकर तामीली की सूचना एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध करायें।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि अपचारी अधिकारी के विरूद्ध संगत साक्ष्यों सहित आरोप पत्र गठित कराकर तीन प्रतियों में शासन को विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- कोषाधिकारी, बस्ती।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी(द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल, बस्ती)।

8- गार्ड फाइल/~~प्रभारी~~ कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-112/एस0एम0-51/पांच-8-2016-जी0(293)/2016
लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-168(1)/चि0-3-2012-03(नियुक्ति)/2011, दिनांक 21-02-2012 द्वारा डा0 अंजूलता सिंह, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में डा0 अंजूलता सिंह द्वारा दिनांक 13-03-2012 को मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के अधीन योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। डा0 सिंह दिनांक 31-07-2013 तक कार्यरत रही। तत्पश्चात डा0 अंजूलता सिंह का चयन डी0एन0बी0(आब्स एण्ड गायनी) में जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पी0जी0 अनुमति की प्रत्याशा में पी0जी0 अध्ययनरत हो गयी। डा0 अंजूलता सिंह द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 20-10-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 अंजूलता सिंह, पी0जी0(आब्स एण्ड गायनी) को जिला महिला चिकित्सालय, कबीर चौरा, वाराणसी के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 अंजूलता सिंह, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 15-01-2017 तक जिला महिला चिकित्सालय, कबीर चौरा, वाराणसी के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-112/एस0एम0-51(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 अंजूलता सिंह, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 15-01-2017 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़/वाराणसी मण्डल।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।

6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, कबीरचौरा, वाराणसी।

7- कोषाधिकारी, आजमगढ़/वाराणसी।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- गार्ड फाइल/प्रभारी/कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।